न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2022 / 416 दर्ज तिथिः—21.12.2022

1. ग्राम पंचायत जीवाणियों की ढाणी पंचायत समिति गुडामालानी जरिये सरपंच

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी—बाड़मेर।

........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैः—
   - कि ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी मौजा बोरली पटवार मण्डल बारासण तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
   - उक्त आराजी खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी मूल खसरा संख्या 1245 में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आबादी हेतु आवंटित करवाई गई थी। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा आवंटित गै0मु0 आबादी के मौके के विपरीत राजस्व नक्शे में उक्त खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की तरमीम गलत कर दी गई। अतः खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की तरमीम मुताबिक आवंटन आदेश व कब्जे के मुताबिक किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:53 IST
Reason: SelfAttested

गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पर बहस की गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के हाल राजस्व नक्शे का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

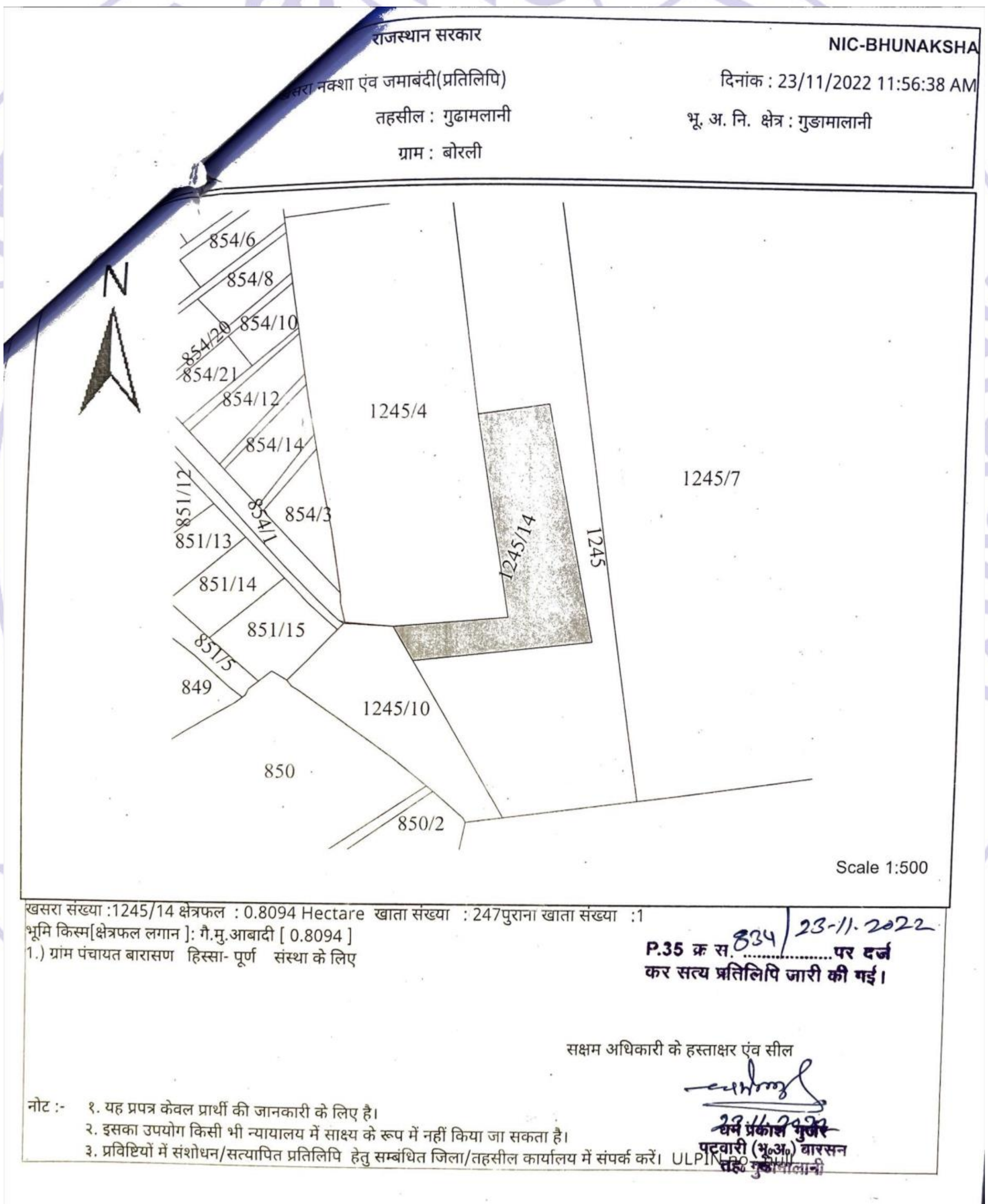

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:53 IST
Reason: SelfAttested

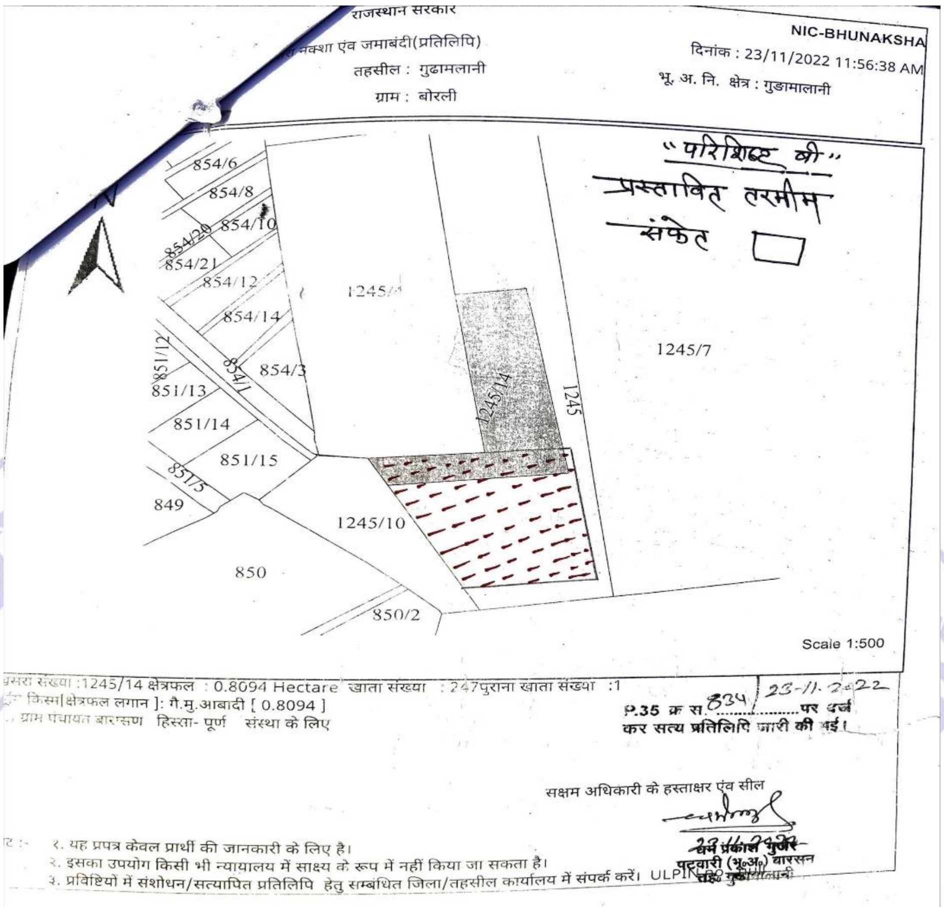

6. इसी प्रकार प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

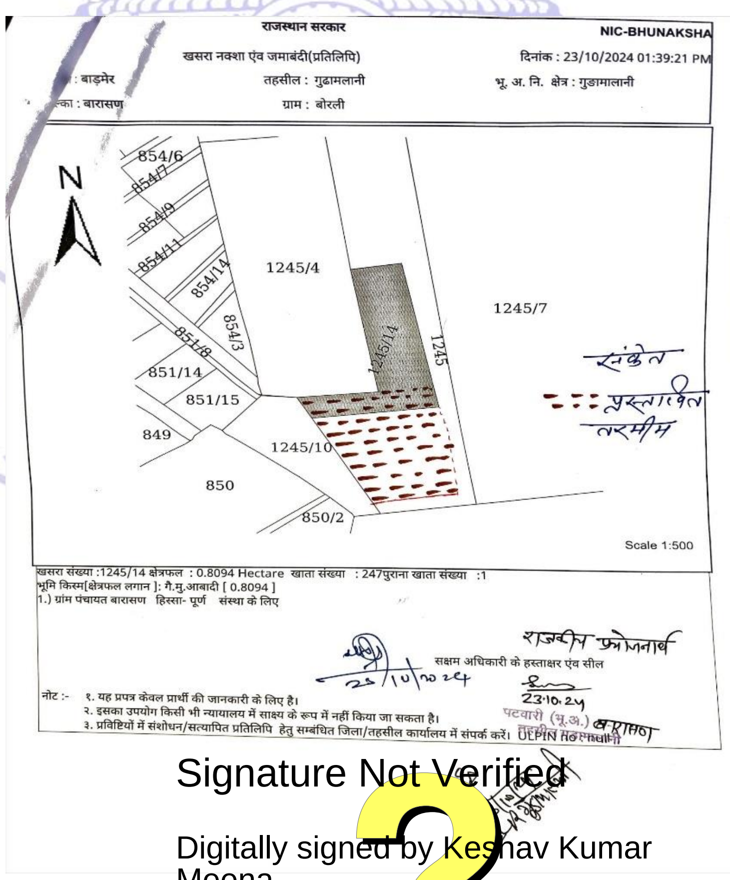

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:53 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में मूल खसरा 1245 से नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04.2013 द्वारा 05 बीघा भूमि को गै0मु0 आबादी दर्ज किया गया है। उक्त नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04.2013 की पुश्त पर बने नक्शे का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

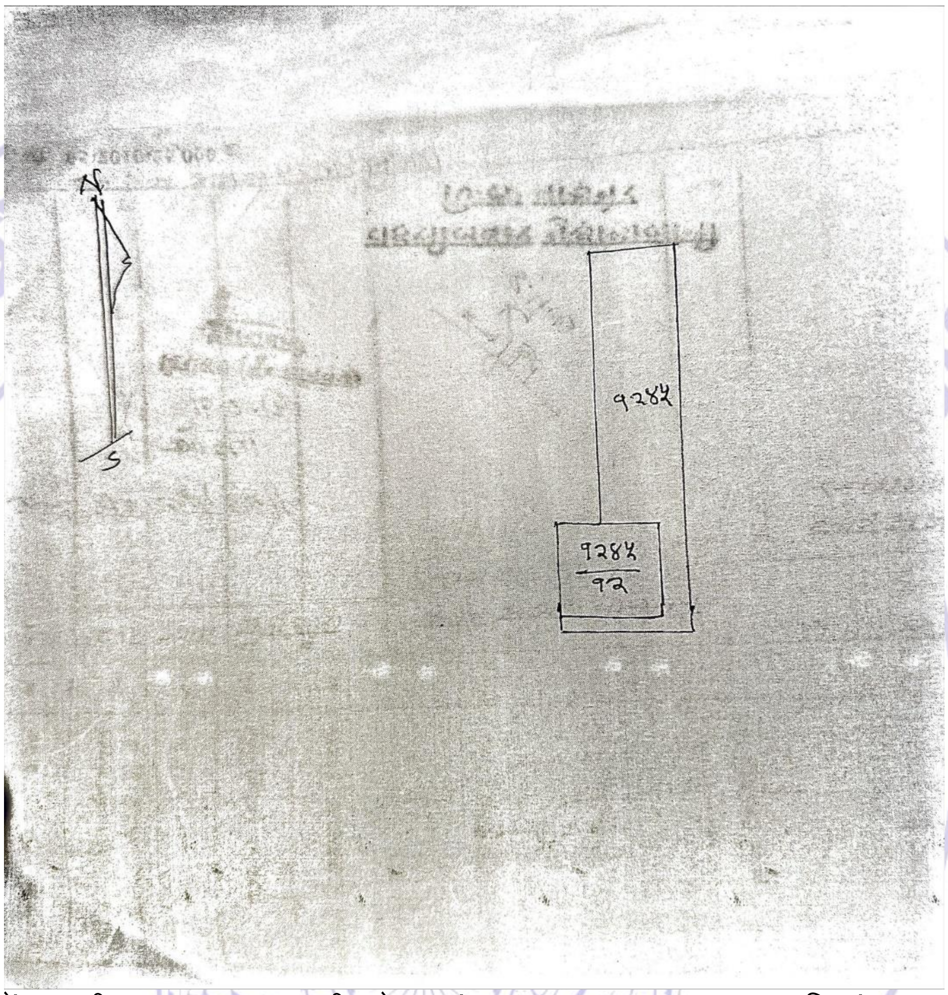

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

2. ग्राम बोरली के खसरा संख्या 1245/14 रकबा 0.8094 है0 नामांतरकरण संख्या 70 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार ही कब्जा है। लेकिन पुश्त पर अंकित तरमीम में खसरा संख्या 1245/12 दर्ज है। जो कि गलत है।
3. ग्राम बोरली के खसरा संख्या 1245/14 रकबा 0.8094 है0 व नामांतरकरण संख्या 70 की पुश्त पर अंकित तरमीम एवं मौके पर कब्जा समान है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है।

9. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की आबादी के आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 1245/14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04.2013 की पुश्त पर नक्शे एवं मौके पर कब्जे के अनुसार दर्ज नहीं की गई है। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक/भू.अ./2024/2314 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:53 IST
Reason: SelfAttested

21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु वर्तमान मौके पर कब्जा व नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04. 2013 की पुश्त पर बने नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा।

10. इस प्रकार ग्राम पंचायत की आबादी के आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04.2013 की पुश्त पर बने नक्शे एवं मौके पर कब्जे के अनुसार दर्ज नहीं की गई है। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से खसरा संख्या 1245 / 14 रकबा 0.8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु वर्तमान मौके पर कब्जा व नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04.2013 की पुश्त पर बने नक्शे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2314 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2314 दिनांक 21.11. 2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा नामांतरकरण संख्या 70 दिनांक 08.04.2013 की पुश्त पर बने नक्शे अनुसार खसरा संख्या 1245/14 रकबा 0. 8094 है0 भूमि किस्म गै0मु0 आबादी की तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:53 IST
Reason: SelfAttested